

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO-84
ANSWERED ON-14/12/2022

SPEED LIMIT OF VEHICLES

84. DR. ANIL SUKHDEORAO BONDE:

Will the Minister of ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS be pleased to state:

- (a) whether Government is planning to increase the maximum speed limit on the expressway to 140 kmph;
- (b) if so, the details thereof;
- (c) the existing maximum speed limit on National Highways, State Highways, two lane roads, city roads; and
- (d) whether Government is also planning to change the speed limits on above mentioned roads for seamless traffic movement?

ANSWER

THE MINISTER OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(SHRI NITIN JAIRAM GADKARI)

- (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) TO (d) OF THE RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 84 ANSWERED ON 14.12.2022 ASKED BY DR. ANIL SUKHDEORAO BONDE REGARDING **SPEED LIMIT OF VEHICLES**

(a), (b) and (d) No such proposal is under consideration.

(c) Ministry of Road Transport and Highways has published and fixed the maximum speed in respect of the class of motor vehicles, vide S.O. 1522 dated 06.04.2018, as specified in the table below:

Maximum speed per hour in kilometres on roads in India					
S. No.	Class of Motor Vehicles	Expressway with Access Control	4 lane and above divided carriageway (road with Median strips/Dividers)	Road within Municipal Limits	Other Roads
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Motor vehicles used for carriage of passengers comprising not more than eight seats in addition to the driver's seat (M1 category vehicles)	120	100	70	70
2.	Motor vehicles used for carriage of passengers comprising nine or more seats in addition to the driver's seat (M2 and M3 category Vehicles)	100	90	60	60
3.	More vehicles used for carriage of goods (All N category Vehicles)	80	80	60	60
4.	Motor Cycles	80*	80	60	60
5.	Quadricycle	-	60	50	50
6.	Three wheeled vehicles	-	50	50	50
*If permitted to ply on Expressway.					

भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. *84
जिसका उत्तर 14.12.2022 को दिया जाना है
वाहनों की गति सीमा

*84. डॉ. अनिल सुखदेवराव बोंडे:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार एक्सप्रेसवे पर अधिकतम गति सीमा को बढ़ाकर 140 किमी प्रति घंटा करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों, दो लेन वाली सड़कों, शहर की सड़कों पर मौजूदा अधिकतम गति सीमा कितनी है; और

(घ) क्या सरकार यातायात की निर्बाध आवाजाही के लिए उपर्युक्त सड़कों पर भी गति सीमा में बदलाव करने की योजना बना रही है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

‘वाहनों की गति सीमा’ के संबंध में डॉ. अनिल सुखदेवराव बोंडे द्वारा पूछे गए दिनांक 14.12.2022 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. *84 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क), (ख) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने का.आ.1522, दिनांक 06.04.2018 के माध्यम से नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्टानुसार मोटर वाहनों की श्रेणी के संबंध में अधिकतम गति प्रकाशित और निर्धारित की है:

भारत में सड़कों पर किलोमीटर प्रति घंटा अधिकतम गति					
क्र.सं.	मोटर वाहनों की श्रेणी	पहुंच नियंत्रण के साथ एक्सप्रेसवे	4 लेन और इससे अधिक के विभाजित कैरिजवे (मध्य पट्टी / डिवाइडर वाली सड़क)	नगरपालिका सीमा के भीतर की सड़क	अन्य सड़कें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	यात्रियों के परिवहन के लिए प्रयुक्त मोटर वाहन, जिसमें चालक की सीट के अलावा आठ से अधिक सीटें ना हो (एम1 श्रेणी के वाहन)	120	100	70	70
2.	यात्रियों के परिवहन के लिए प्रयुक्त मोटर वाहन, जिसमें चालक की सीट के अलावा नौ या अधिक सीटें हो (एम1 और एम3 श्रेणी के वाहन)	100	90	60	60
3.	माल की ढुलाई के लिए प्रयुक्त अधिक वाहन (सभी एन श्रेणी के वाहन)	80	80	60	60
4.	मोटर साइकिलें	80*	80	60	60
5.	क्वाड्रिसाइकल	-	60	50	50
6.	तिपहिया वाहन	-	50	50	50
* यदि एक्सप्रेसवे पर चलने की अनुमति दी जाती है।					

डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का अभिनन्दन करना चाहता हूँ कि उन्होंने स्पीड लिमिट नहीं बढ़ाई है।

श्री उपसभापति : आप सवाल पूछिए। समय बहुत कम है।

डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे : महोदय, फिर भी रोड अच्छी होने के कारण एक्सिडेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, उनमें डेथ्स और डिसेबिलिटी भी बढ़ रही है। क्या माननीय मंत्री जी एक्सिडेंट प्रिवेंट करने के लिए कोई विशेष योजना और विशेष फंड का प्रावधान कर रहे हैं?

श्री नितिन जयराम गडकरी : माननीय उपसभापति महोदय, यह बात सच है कि रोड बनने के पहले भी रोड एक्सिडेंट्स में वर्ल्ड में सबसे हाइएस्ट हैं। पांच लाख एक्सिडेंट्स होते हैं और डेढ़ लाख के करीब मौतें होती हैं। अभी किसी महामारी, लड़ाई और दंगों में जितने लोग नहीं मरते हैं, उतने लोग रोड एक्सिडेंट में मरते हैं। इसलिए हम एजुकेशन, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग में सुधार, ब्लैक स्पॉट का आइडेंटिफिकेशन आदि में लगातार कोशिश कर रहे हैं, पब्लिक कैम्पेन कर रहे हैं और काफी सारे बड़े सेलिब्रिटीज़ का भी सहयोग ले रहे हैं। हम यह निश्चित रूप से करेंगे, पर एक बात सच है कि हम 27 नए ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे एक्सेस कंट्रोल बना रहे हैं। स्वाभाविक रूप से अभी दिल्ली टू चंडीगढ़ ढाई घंटे में सफर पूरा होगा, दिल्ली टू देहरादून दो घंटे में सफर पूरा होगा। अभी नई रोड बन रही है। दिल्ली टू हरिद्वार दो घंटे में और दिल्ली टू जयपुर दो घंटे में सफर पूरा होगा। अब चेन्नई से बेंगलुरु जाने में दो घंटे का समय लगेगा और मुंबई से दिल्ली का सफर 12 घंटे में पूरा होगा। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हाईवेज़ हैं और इसमें एक्सेस कंट्रोल है।...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Minister, Question Hour is over.

श्री नितिन जयराम गडकरी : सर, मैं अपना जवाब खत्म कर देता हूँ। अब इस परिस्थिति में जो इंटरनेशनल नियम बने हैं, उनके आधार पर राज्य सरकार को विश्वास में लेकर हम नई स्पीड लिमिट के बारे में टू लेन से लेकर फोर लेन, पेब्ड शोल्डर, एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे की नई रचना करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को फाइन भरना पड़ रहा है, इसलिए हम जल्दी ही इसका निर्णय करेंगे।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. The House stands adjourned till 2.00 p.m.